शुल्क एवं प्रभार :

कृपया संबंधित एचडीएफसी बैंक फॉरेक्सप्लस कार्ड पर लागू शुल्क और प्रभारों के लिए निम्नांकित तालिका देखें :

क्रमांक	शुल्कों एवं प्रभारों के विवरण	मल्टीकरंसी फॉरेक्सप्लस कार्ड	रेगलिया फॉरेक्सप्लस कार्ड	आईएसआईसी स्टूडेंट मल्टीकरंसी फॉरेक्सप्लस कार्ड	हज उमराह फॉरेक्सप्लस कार्ड
1	जारी करने का शुल्क*	रु. 500	रु. 1000	रु. 500	रु. 200
2	रीलोड शुल्क*	रु. 75	रु. 75	रु. 75	रु. 75
3	एटीएम निकासी शुल्क*	2 अमेरिकी डॉलर या समकक्ष यहाँ क्लिक करें	4 अमेरिकी डॉलर या समकक्ष यहाँ क्लिक करें	2 अमेरिकी डॉलर या समकक्ष यहाँ क्लिक करें	एसएआर 7.50 यहाँ क्लिक करें
4	शेष राशि पूछताछ शुल्क	0.5 अमेरिकी डॉलर या समकक्ष यहाँ क्लिक करें	0.5 अमेरिकी डॉलर या समकक्ष यहाँ क्लिक करें	0.5 अमेरिकी डॉलर या समकक्ष यहाँ क्लिक करें	एसएआर 2.00 यहाँ क्लिक करें
5	क्रॉस करेंसी मार्कअप शुल्क **	2%	0%	2%	3%
6	बैक-अप कार्ड शुल्क	रु. 100*	रु. 100*	सेवा उपलब्ध नहीं	सेवा उपलब्ध नहीं
7	कार्ड प्रतिस्थापन शुल्क	रु. 100*	रु. 100*	सेवा उपलब्ध नहीं	सेवा उपलब्ध नहीं

* जीएसटी लागू अनुसार
**यदि एटीएम धारक बैंक द्वारा निचली सीमा निर्धारित की गई हो तो निकासी सीमा अलग हो सकती है.
***क्रॉस करेंसी मार्कअप शुल्क*

- *ऐसे लेनदेन के लिए जहां लेनदेन की मुद्रा फॉरेक्सप्लस कार्ड पर उपलब्ध मुद्रा से अलग है, बैंक द्वारा ऐसे लेनदेन पर लागू होने पर क्रॉस करेंसी मार्कअप शुल्क भारित किया जाएगा.*
- *प्रयुक्त विनिमय दर लेनदेन/व्यापारी निपटान के समय प्रचलित वीज़ा/मास्टरकार्ड थोक विनिमय दर के अनुसार होगी.*
- *फॉरेक्सप्लस कार्ड पर उपलब्ध मुद्राओं के भीतर वॉलेट से वॉलेट स्थानान्तरण से संबंधित क्रॉस करेंसी लेनदेन के लिए, लागू होने पर ग्राहक से क्रॉस करेंसी मार्क अप शुल्क लिया जाएगा.*

प्रचलित दर के अनुसार मुद्रा रूपांतरण और अन्य शुल्कों पर जीएसटी लागू होगा.
मुद्रा रूपांतरण पर लागू जीएसटी, टीसीएस और अन्य कर अनुरोध की तिथि से अगले कार्य दिवस पर आपके खाते से डेबिट कर दिए जाएंगे.

एचडीएफसी बैंक फॉरेक्सप्लस कार्ड पर सीमाएं :

एटीएम से नकद निकासी की दैनिक सीमा	5,000* अमेरिकी डॉलर तक या किसी अन्य मुद्रा में समकक्ष
ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से दैनिक रीलोड सीमा	अधिकतम 5,000 अमेरिकी डॉलर या किसी अन्य मुद्रा में समकक्ष
ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से वार्षिक रीलोड सीमा	अधिकतम 25,000 अमेरिकी डॉलर या किसी अन्य मुद्रा में समकक्ष
लिबरेटेड रेमिटेंस स्कीम के अनुसार वार्षिक कुल लोड और रीलोड सीमा**	एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम $250,000 अमेरिकी डॉलर या किसी अन्य मुद्रा में समकक्ष

* जिस एटीएम बैंक से नकदी निकाली जाती है, यदि उसने निचली सीमा निर्धारित की है तो निकासी की सीमा अलग हो सकती है.
***लिबरेटेड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) एक ऐसी सुविधा है, जिसके अंतर्गत सभी निवासी व्यक्तियों (फेमा 1999 के अंतर्गत परिभाषित) को, जिनमें अवयस्क भी शामिल हैं, किसी भी स्वीकार्य चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) 250,000 अमेरिकी डॉलर तक की स्वतंत्र रूप से धनराशि भेजने की अनुमति है.*

कार्ड पर लोड/रीलोड की जा सकने वाली विदेशी मुद्रा का अधिकतम मूल्य आरबीआई द्वारा प्रकाशित लिबरेटेड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमाओं के अनुरूप होगा.

निम्नलिखित परिदृश्यों में आपका अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा और धनराशि आपके खाते में वापस कर दी जाएगी :
- यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा किया गया विदेशी मुद्रा अनुरोध एलआरएस दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है और/या एलआरएस सीमा उपयोग निर्धारित सीमा को पार कर गया है.

- यदि आपकी यात्रा का उद्देश्य उस उद्देश्य से मेल नहीं खाता जिसके लिए फॉरेक्सप्लस कार्ड जारी किया गया है.

मुद्रा रूपांतरण पर वस्तु एवं सेवा कर :

एचडीएफसी बैंक फॉरेक्सप्लस कार्ड पर किए गए सभी लोड, रीलोड और रिफंड लेनदेन पर मुद्रा रूपांतरण पर माल और सेवा कर लागू होता है.

विदेशी मुद्रा खरीदना और बेचना	मुद्रा रूपांतरण पर वस्तु एवं सेवा कर
रु. 1 लाख तक	सकल मूल्य का 0.18% या रु. 45 (जो भी अधिक हो)
> रु 1 लाख - रु 10 लाख	रु. 180 + रु. 1 लाख से अधिक राशि का 0.09%
> रु. 10 लाख	रु. 990 + रु. 10 लाख से अधिक राशि का 0.018%

स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस)

वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा लिबरेटेड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के अंतर्गत विदेशी मुद्रा लेनदेन पर नए आयकर प्रावधान प्रस्तुत किए गए हैं, जो 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी हैं

कार्डधारक द्वारा देय राशि डेबिट करते समय या कार्डधारक से धन प्रेषण के लिए राशि प्राप्त करते समय, जो भी पहले हो, कार्डधारक से इस प्रकार प्रेषित या प्राप्त राशि पर बैंक द्वारा टीसीएस लिया जाएगा। लिबरेटेड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के अंतर्गत निवासी व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा निकासी/प्रेषण पर संशोधित टीसीएस दरें (वित्त अधिनियम, 2023 के अनुसार) 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होंगी, जो इस प्रकार हैं :

क्रमांक	विदेश में धन प्रेषण का प्रकार	नई टीसीएस दर (1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी)
1	शिक्षा के उद्देश्य से, यदि प्रेषित राशि किसी निर्दिष्ट संस्थान से प्राप्त ऋण से है.	सीमा - रु. 7 लाख रुपए तक शून्य. प्रति वित्तीय वर्ष रु. 7 लाख से अधिक की समेकित राशि या राशि का 0.5%
2	शिक्षा के उद्देश्य से, उपरोक्त (1) के अलावा (या) चिकित्सा उपचार के प्रयोजन के लिए.	सीमा - रु. 7 लाख रुपए तक शून्य. प्रति वित्तीय वर्ष रु. 7 लाख से अधिक की समेकित राशि या राशि का 5%
3	एलआरएस के अंतर्गत कोई अन्य प्रयोजन	सीमा - रु. 7 लाख रुपए तक शून्य. प्रति वित्तीय वर्ष रु. 7 लाख से अधिक की समेकित राशि या राशि का 20%
4	विदेशी टूर पैकेज	सीमा - रु. 7 लाख* रुपए तक 5%, प्रति वित्तीय वर्ष रु. 7 लाख* से अधिक की समेकित राशि या राशि का 20%
5	"निर्दिष्ट व्यक्ति" श्रेणी के अंतर्गत आने वाला निवासी व्यक्ति / गैर-पैन मामला / निष्क्रिय पैन मामला	टीसीएस की सामान्य दर से दोगुनी या 5%, जो भी अधिक हो. हालाँकि, टीसीएस की दर 20% से अधिक नहीं होगी.

टिप्पणी :

1. एलआरएस के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 7 लाख रुपए की सीमा, जैसा कि बिंदु संख्या (1), (2) और (3) में उल्लिखित है, सभी प्रकार के भुगतानों के माध्यम से एलआरएस भुगतानों की सभी श्रेणियों पर एक संयुक्त सीमा है, चाहे प्रयोजन कुछ भी हो.

2. बिंदु संख्या (1), (2) और (3) में उल्लिखित सीमाएँ सभी अधिकृत डीलरों (एडी) द्वारा एलआरएस के अंतर्गत प्राप्त धन प्रेषण/विदेशी मुद्रा निकासी हैं.

3. बैंक द्वारा एक प्राधिकृत डीलर के रूप में निवासी व्यक्तिगत ग्राहक द्वारा हवाई यात्रा टिकट बुकिंग या होटल बुकिंग के लिए संसाधित एलआरएस धन-प्रेषण, उपरोक्त तालिका के बिंदु संख्या (3) में उल्लिखित दर के अनुसार टीसीएस के अधीन होगा.

4.(*) विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की खरीद के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 7 लाख रुपए की सीमा बिंदु संख्या (1) में उल्लिखित सीमा से मुक्त है.

निर्दिष्ट व्यक्ति की परिभाषा :

“निर्दिष्ट व्यक्ति” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करता है

1. उसने उस वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के पिछले वर्ष से संबंधित कर निर्धारण वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, जिसमें कर की कटौती/वसूली की जाना अपेक्षित है. गणना किए जाने वाले पिछले वर्ष को वह माना जाना चाहिए जिसकी धारा 139 की उपधारा (1) के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करने की तिथि समाप्त हो गई है.
2. पिछले वर्ष में स्रोत पर काटा गया कर और स्रोत पर संग्रहित कर की समेकित राशि पचास हजार रुपए या उससे अधिक है.

कृपया यह ध्यान रखें कि आरबीआई को एलआरएस रिपोर्टिंग के लिए और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को टीसीएस रिपोर्टिंग के लिए फॉरेक्सप्लस कार्ड धारक के पैन नंबर पर विचार किया जाएगा.

महत्वपूर्ण टिप्पणी :

फोरेक्सप्लस कार्ड की डिलीवरी	फॉरेक्सप्लस कार्ड आपके द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर जारी किया जाएगा. हम विदेशी स्थानों पर और उन स्थानों पर फॉरेक्सप्लस कार्ड डिलीवर/कूरियर नहीं करेंगे, जहाँ हमारे पास डिलीवर करने की लॉजिस्टिक सुविधा नहीं है. ऐसे परिदृश्यों में, अनुरोध संसाधित नहीं किया जाएगा, और धनराशि आपके खाते में वापस कर दी जाएगी.
पात्रता	फॉरेक्सप्लस कार्ड बारह (12) वर्ष से अधिक आयु के निवासी व्यक्तियों* को जारी किया जा सकता है. यदि प्रेषक अवयस्क है, तो फॉर्म A2 को अवयस्क के प्राकृतिक अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए.
मौजूदा कार्ड	यदि आपके पास पहले से ही कोई फॉरेक्सप्लस कार्ड मौजूद है, तो पहले से जारी किया गया कार्ड बंद कर दिया जाएगा, और शेष राशि नए अनुरोध के अनुसार जारी किए गए नए फॉरेक्सप्लस कार्ड में स्थानांतरित कर दी जाएगी. यदि जारी किए गए नए फॉरेक्सप्लस कार्ड के मौजूदा कार्ड करेंसी वॉलेट में मुद्रा उपलब्ध नहीं है; नए फॉरेक्सप्लस कार्ड में मुद्रा शेष राशि के हस्तांतरण पर क्रॉस मुद्रा रूपांतरण दर, मुद्रा रूपांतरण कर और जीएसटी लागू होगा. इसकी गणना मौजूदा विनिमय दर और लागू शुल्क के अनुसार की जाएगी.

सचेतक सूचनाएं	फोरेक्सप्लस कार्ड से संबंधित सभी निर्देश और सचेतक सूचनाएं (अलर्ट) बैंक द्वारा बैंक को/के स्वीकार्य संचार माध्यम के अनुसार आवेदन पत्र में दिए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और पते पर जारी की जाएंगी या उन्हें मेरे अनुरोध के अनुसार अद्यतन किया जाएगा. मैं सहमत हूँ कि बैंक मुझे कूरियर/मैसेंजर/मेल/एसएमएस या किसी अन्य माध्यम से अपने विवेकानुसार संचार/पत्र आदि भेजेगा और बैंक इसके कारण होने वाले किसी भी विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.
सभी करेंसी वॉलेट्स में फंड्स का उपयोग करने की बुद्धिमत्ता	चयनित मुद्रा में फंड की कमी होने पर सिस्टम द्वारा लेनदेन को संसाधित करने के लिए किसी अन्य मुद्रा वॉलेट में उपलब्ध धन की जांच की जाएगी. यदि किसी भी मुद्रा में लेनदेन को संसाधित करने के लिए पर्याप्त शेष राशि नहीं होती है, तो लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाएगा, भले ही सभी मुद्राओं में सामूहिक रूप से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो.
फॉरेक्सप्लस कार्ड की लोडिंग/रीलोडिंग	आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि फंडिंग खाताधारक का नाम फॉरेक्सप्लस कार्ड आवेदक के नाम से मेल खाता हो. अनुच्छेद 36 के अनुसार, नामों में किसी भी तरह की विसंगति के परिणामस्वरूप लोड/रीलोड अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाएगा, और दो (2) कार्य दिवसों के भीतर कार्डधारक के खाते में धनराशि वापस कर दी जाएगी.

**विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 2(v) में "भारत में निवासी व्यक्ति" को परिभाषित किया गया है। धारा में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार "भारत में निवासी व्यक्ति" का अर्थ है –*

(i) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एक सौ बयासी दिन से अधिक समय तक भारत में रहने वाला व्यक्ति, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं –

(A) ऐसा व्यक्ति जो भारत से बाहर चला गया है या जो भारत के बाहर रहता है, दोनों ही मामलों में –

(a) भारत के बाहर रोजगार प्राप्त करने के लिए, या

(b) भारत के बाहर कोई कारोबार या व्यवसाय चलाने के लिए, या

(c) किसी अन्य प्रयोजन के लिए, ऐसी परिस्थितियों में जो यह इंगित करती हों कि वह अनिश्चित अवधि के लिए भारत के बाहर रहने की मंशा रखता है;

(B) ऐसा व्यक्ति जो भारत आया है या भारत में रहता है, दोनों में से किसी भी मामले में, अन्यथा–

(a) भारत में रोजगार प्राप्त करने के लिए, या

(b) भारत में कोई कारोबार या व्यवसाय चलाने के लिए, या

(c) किसी अन्य प्रयोजन के लिए, ऐसी परिस्थितियों में जो यह इंगित करती हों कि वह अनिश्चित अवधि तक भारत में रहने की मंशा रखता है;

(ii) भारत में पंजीकृत या निगमित कोई व्यक्ति या निगमित निकाय,

(iii) भारत में कोई कार्यालय, शाखा या एजेंसी जिसका स्वामित्व या नियंत्रण भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति के पास हो,

(iv) भारत के बाहर कोई कार्यालय, शाखा या एजेंसी जिसका स्वामित्व या नियंत्रण भारत में निवासी किसी व्यक्ति के पास हो;

कार्ड प्रकार-वार कार्ड संबंधी विवरण :

क्रमांक	विशेषताएँ	मल्टीकरेंसी फॉरेक्सप्लस कार्ड	रेगलिया फॉरेक्सप्लस कार्ड	आईएसआईसी स्टूडेंट मल्टीकरेंसी फॉरेक्सप्लस कार्ड	हज उमराह फॉरेक्सप्लस कार्ड
1	चिप और स्वाइप भुगतान	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	संपर्क रहित भुगतान	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	कार्ड का प्रकार	मल्टी-करेंसी कार्ड	सिंगल करेंसी कार्ड	मल्टी-करेंसी कार्ड	सिंगल करेंसी कार्ड
4	मुद्राओं की संख्या	एक कार्ड में 22 करेंसी वॉलेट उपलब्ध	1	एक कार्ड में 22 करेंसी वॉलेट उपलब्ध	1
5	मुद्रा	ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, AED (दिरहम), कनाडाई डॉलर, यूरो, हांगकांग डॉलर, जापानी येन, सिंगापुर डॉलर, स्टर्लिंग पाउंड, स्विस फ्रैंक, स्वीडिश क्रोना, थाईलैंड बहत, दक्षिण अफ़्रीकी रैंड, ओमानी रियाल, न्यूज़ीलैंड डॉलर, डेनिश क्रोन, नॉर्वेजियन क्रोन, सऊदी रियाल, कोरियाई वोन, बहरीन दीनार, कतर रियाल, कुवैत दीनार और अमेरिकी डॉलर	USD (MCY कार्ड के लिए उल्लिखित किसी भी अन्य मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है)	ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, AED (दिरहम), कनाडाई डॉलर, यूरो, हांगकांग डॉलर, जापानी येन, सिंगापुर डॉलर, स्टर्लिंग पाउंड, स्विस फ्रैंक, स्वीडिश क्रोना, थाईलैंड बहत, दक्षिण अफ़्रीकी रैंड, ओमानी रियाल, न्यूज़ीलैंड डॉलर, डेनिश क्रोन, नॉर्वेजियन क्रोन, सऊदी रियाल, कोरियाई वोन, बहरीन दीनार, कतर रियाल, कुवैत दीनार और अमेरिकी डॉलर	सऊदी रियाल
6	क्रॉस करेंसी मार्कअप	लेन-देन की मुद्रा कार्ड पर उपलब्ध मुद्रा से अलग है, क्रॉस-करेंसी शुल्क 2% का मार्क-अप है.	0%	लेन-देन की मुद्रा कार्ड पर उपलब्ध मुद्रा से अलग है, क्रॉस-मुद्रा शुल्क 2% का मार्क-अप है	3%
7	समाप्ति	कार्ड इंडेंट की तिथि से 5 वर्ष	कार्ड इंडेंट की तिथि से 5 वर्ष	कार्ड इंडेंट की तिथि से 2 वर्ष	कार्ड इंडेंट की तिथि से 5 वर्ष

<u>एचडीएफसी बैंक फॉरेक्सप्लस कार्ड के लिए नियम और शर्तें</u>

परिभाषाएं

इस दस्तावेज़ में निम्नलिखित शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ हैं - उनके विपरीत जब तक कि संदर्भ इंगित न करे

1. 'बैंक' का तात्पर्य एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत में निगमित एक बैंकिंग कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013, भारत में स्थित है और इसमें इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं.
2. 'कार्ड' का तात्पर्य एचडीएफसी बैंक फॉरेक्सप्लस कार्ड से है, जो वीज़ा/मास्टरकार्ड के सहयोग से एचडीएफसी बैंक द्वारा ग्राहक को जारी किया जाता है
3. 'कार्डधारक' से तात्पर्य बैंक के उस ग्राहक से है जो कार्ड का उपयोग करने के लिए अधिकृत है.
4. 'ईडीसी टर्मिनल' का अर्थ होगा पॉइंट-ऑफ-सेल इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर, जो कार्ड लेनदेन का प्रबंधन करने में सक्षम है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक ड्राफ्ट कैप्चर (ईडीसी) टर्मिनल, प्रिंटर, अन्य बाह्य उपकरण और सहायक उपकरण, जिसमें एटीएम पिन (नीचे परिभाषित), पैड और उपकरणों को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर शामिल हैं और जो विदेश में (भारत, नेपाल और भूटान को छोड़कर) व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लेनदेन को संसाधित करता है.
5. 'अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन' से तात्पर्य कार्डधारक द्वारा भारत, नेपाल और भूटान के बाहर कार्ड पर किए गए लेनदेन से है.

6. 'व्यापारी' का तात्पर्य किसी भी ऐसी इकाई से है, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान का स्वामित्व, प्रबंधन या संचालन करती है.
7. 'व्यापारिक प्रतिष्ठान' का तात्पर्य ऐसे प्रतिष्ठान या सुविधा से है, चाहे वे कहीं भी स्थित या पंजीकृत हों, जो कार्ड का आदर करते हैं और इसमें अन्य के अलावा स्टोर, दुकानें, रेस्तरां, होटल, एयरलाइन संगठन, ई-कॉमर्स वेबसाइटें शामिल हैं, जिन्हें वीज़ा/मास्टरकार्ड का आदर करने के रूप में विज्ञापित किया गया है.
8. 'शर्तों' से तात्पर्य इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट कार्ड के उपयोग के लिए नियम और शर्तों से है.
9. 'लेन-देन' का अर्थ है कार्डधारक द्वारा कार्ड का उपयोग करते हुए बैंक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लेनदेन करने के लिए दिया गया निर्देश.
10. वीज़ा का अर्थ वीज़ा इंटरनेशनल के स्वामित्व वाला चिह्न होगा.
11. मास्टरकार्ड का अर्थ मास्टरकार्ड इनकॉर्पोरेटेड या मास्टरकार्ड वर्ल्डवाइड के स्वामित्व वाले चिह्न से होगा.
12. 'वीज़ा/प्लस/मास्टरकार्ड एटीएम नेटवर्क' का तात्पर्य ऐसे एटीएम से है, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, जो वीज़ा/मास्टरकार्ड का आदर करते हैं तथा वीज़ा/प्लस/मास्टरकार्ड प्रतीकों को प्रदर्शित करते हैं.
13. दस्तावेज़ में, कार्डधारक, जिसका उल्लेख पुल्लिंग के रूप में किया गया है, में सभी संदर्भों में स्त्रीलिंग/ट्रांसजेंडर लिंग भी शामिल होंगे.
14. लेनदेन : लेनदेन में नकद निकासी, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर की गई खरीदारी/प्राप्त सेवाओं के लिए भुगतान, एटीएम और/या व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कार्ड का उपयोग करके अन्य सेवाओं का लाभ उठाना शामिल है.
15. व्यक्तिगत पहचान संख्या (पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर या पिन) : बैंक कार्डधारक को एटीएम से नकद निकासी और शेष राशि की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले पिन और प्रीपेड कार्ड नेटबैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आईपिन आवंटित करेगा. कार्डधारक को प्रीपेड कार्ड नेटबैंकिंग पोर्टल का उपयोग करके, यहां दिए गए प्रावधानों के अनुसार, एटीएम पिन बदलने का अधिकार होगा. एटीएम पिन/आईपीआईएन की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कार्डधारक उत्तरदायी होगा. कार्ड के अनधिकृत उपयोग के लिए बैंक कोई दायित्व नहीं लेता है.

पात्रता, आवेदन करने/प्राप्त करने का तरीका और कार्ड जारी करने की शर्तें

16. कोई भी व्यक्ति (भारत में रहने वाला) किसी भी शाखा, ऑनलाइन डिजिटल चैनलों, बैंक के प्रतिनिधि या समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित भारत में चुनिंदा मनी चेंजर्स के माध्यम से फॉरेक्सप्लस कार्ड जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है.
17. कार्ड के लिए आवेदक को विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन पत्र भरकर जमा करना होगा, तथा बैंक द्वारा समय-समय पर अपेक्षित सभी दस्तावेज भी जमा कराने होंगे.
18. बैंक द्वारा आवेदक को जारी किया गया कार्ड, बैंक की संपत्ति रहेगा तथा हस्तांतरणीय नहीं होगा तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर तभी मान्य होगा जब कार्ड के पीछे कार्डधारक के हस्ताक्षर होंगे तथा कार्डधारक द्वारा उसे व्यापारिक प्रतिष्ठान में प्रस्तुत किया जाएगा.
19. कार्ड जारी करना कार्ड आवेदक द्वारा लागू कानूनों (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 सहित), नियमों, विनियमों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और समय-समय पर लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन है.

नियमों और विनियमों की प्रयोज्यता

20. फॉरेक्सप्लस कार्ड जारी करना और उसका उपयोग, कार्डधारक द्वारा लागू कानूनों (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 सहित), नियमों, विनियमों और भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लागू किसी कानून के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुपालन के अधीन है.
21. फॉरेक्सप्लस कार्ड का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा नियंत्रण विनियमों और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अनुसार कठोरतापूर्वक किया जाएगा। कार्डधारक द्वारा इसका अनुपालन न करने की स्थिति में, बैंक अपने विवेकानुसार या भारतीय रिजर्व बैंक के कथनानुसार कार्डधारक को कार्ड रखने से वंचित करने, कार्ड को निरस्त करने और वापस लेने का अधिकारी होगा, और कार्डधारक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और विदेशी मुद्रा के विनियमन से संबंधित समय-समय पर लागू किसी अन्य कानून और/या विनियमन के अंतर्गत कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होगा.
22. फॉरेक्सप्लस कार्ड का उपयोग भारत, नेपाल और भूटान में विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता है, अर्थात नेपाल और भूटान में कार्ड का उपयोग करते समय, लेनदेन की मुद्रा उन देशों की स्थानीय मुद्रा या भारतीय रुपये में होनी चाहिए.

23. यदि कार्ड को निरस्त कर दिया जाता है, चाहे वह विनिमय नियंत्रण विनियमन के गैर-अनुपालन के कारण हो या अन्यथा, बैंक कार्ड के किसी भी उपयोग के प्रयास हेतु उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वह भारत में हो या विदेश में, जिसके परिणामस्वरूप कार्ड अस्वीकृत हो जाता है और संबंधित व्यापारी प्रस्तुत किए जाने पर निरस्त किए गए कार्ड को लेने का अधिकारी होगा.
24. फॉरेक्सप्लस कार्ड का उपयोग आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित विदेशी पात्रताओं के अंतर्गत किया जा सकता है, कार्डधारक विदेश यात्रा के दौरान सभी वास्तविक व्यक्तिगत खर्चों के लिए विदेश जा सकते हैं, बशर्ते कि विदेश यात्रा के दौरान निकाली गई कुल मुद्रा पात्रता से अधिक न हो. विदेश से खरीदे गए सामानों का भारत में आयात, प्रासंगिक समय पर लागू बैगेज नियमों/एक्ज़िम नीति द्वारा नियंत्रित होगा. विनिमय की पात्रता बैंक की अधिकृत डीलर शाखाओं से (यात्रा से पहले) सुनिश्चित की जानी चाहिए. कार्ड का उपयोग धन प्रेषण के लिए नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए मौजूदा नियमों के अंतर्गत विनिमय जारी करने की अनुमति नहीं है। बैंक भारत, नेपाल और भूटान में पंजीकृत व्यापारियों पर कार्ड का उपयोग करके किसी भी भुगतान/लेनदेन की अनुमति नहीं देता है.
25. समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कार्डधारक संबंधित अधिकारियों के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होगा. समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के साथ कार्डधारक द्वारा गैर-अनुपालन से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि या क्षति के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा.
26. कार्डधारक एतद् द्वारा समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों, दावों और लागतों, प्रभारों और व्ययों के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति देने के लिए अपनी सहमती दी जाती है.
27. यदि कार्ड निरस्त कर दिया जाता है (या इसका उपयोग निलंबित कर दिया जाता है, चाहे समय-समय पर लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन न करने के कारण हो या अन्यथा) तो बैंक कार्ड के किसी भी उपयोग/उपयोग के प्रयास के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप कार्ड का अनादरण होता है या अन्यथा. प्रस्तुत किए जाने पर निरस्त (और/या निलंबित) किए गए कार्ड के अनादरण का जोखिम ऐसे व्यक्ति और/या कार्डधारक की व्यक्तिगत क्षमता में होता है.
28. यदि बैंक और कार्डधारक के बीच संबंधों को प्रभावित करने वाले कानूनों, नियमों या विनियमों में परिवर्तन होते हैं, तो बैंक कार्डधारक को बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित करके ऐसे किसी भी परिवर्तन की सूचना देगा और ऐसा प्रदर्शन संशोधित कानूनों, नियमों या विनियमों की कार्डधारक को वैध सूचना माना जाएगा.

वैधता

29. फॉरेक्सप्लस कार्ड भारत, नेपाल और भूटान के बाहर वैध है. हालाँकि, यह कार्ड भारत, नेपाल और भूटान में पंजीकृत व्यापारियों को भुगतान के लिए वैध नहीं होगा.
30. कार्ड की वैधता कार्ड की समाप्ति के वर्ष के महीने के अंतिम दिन तक होती है, जो कार्ड पर अंकित होता है. कार्ड की समाप्ति पर, कार्डधारक कार्ड को मैग्नेटिक स्ट्रिप और चिप के माध्यम से तिरछे आधे हिस्से में काटकर नष्ट कर देगा. ऐसे कार्ड का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है. इस स्थिति में ग्राहक को नए कार्ड के लिए आवेदन करना होगा.
31. यह कार्ड किसी भी बैंक के एटीएम पर स्वीकार्य है जो नेटवर्क पार्टनर (वीज़ा/मास्टरकार्ड) का सदस्य है, विदेश में एटीएम नेटवर्क और विदेश में किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान आउटलेट पर स्वीकार्य है.
32. वीज़ा/मास्टरकार्ड कार्ड की स्वीकृति नेटवर्क पार्टनर (वीज़ा/मास्टरकार्ड) द्वारा निर्देशित होती है और इसकी जानकारी इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है. कार्डधारकों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन देशों/शहरों में एचडीएफसी बैंक फॉरेक्सप्लस कार्ड की स्वीकृति की जांच करें, जहां वे कार्ड का उपयोग करना चाहते हैं. बैंक किसी भी देश में किसी व्यापारी प्रतिष्ठान या एटीएम पर एचडीएफसी बैंक फॉरेक्सप्लस कार्ड की स्वीकृति/अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी नहीं है.
33. इन नियमों और शर्तों के अंतर्गत बताए गए उद्देश्य के अलावा किसी भी अनधिकृत स्थान पर या किसी अन्य उद्देश्य के लिए कार्ड का उपयोग करना पूर्णतः वर्जित है और इसके परिणामस्वरूप बैंक द्वारा कार्ड को निरस्त करना भी शामिल है, परंतु ये यहीं तक ही सीमित नहीं है.

कार्ड की मुद्रा

34. फॉरेक्सप्लस कार्ड में सुविधाओं के अनुसार कार्ड में करेंसी वॉलेट होंगे. हालाँकि, बैंक अपने विवेकानुसार, बिना किसी पूर्व सूचना के, उपलब्ध मुद्राओं की संख्या को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
35. कार्डधारक या विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को कार्ड पर मूल्य लोड करने का विकल्प होगा.

36. फंडिंग खाताधारक और फॉरेक्सप्लस कार्ड आवेदक का नाम एक ही होना चाहिए. नाम में कोई मेल न होने की स्थिति में, लोड/रीलोड अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा और दो (2) कार्य दिवसों में कार्डधारक के खाते में धनराशि वापस कर दी जाएगी.
37. कार्डधारक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, समय-समय पर बैंक द्वारा अपेक्षित प्रारूप में लोडिंग निर्देश देकर, कार्ड की वैधता अवधि के दौरान कार्ड में विदेशी मुद्रा लोड की जा सकती है तथा/या पुनः लोड की जा सकती है.
38. एक बार दिए गए निर्देश अंतिम होंगे और कार्डधारक पर बाध्यकारी होंगे और कार्डधारक बैंक की सहमति के बिना उन्हें निरस्त या संशोधित करने का अधिकारी नहीं होगा. उपरोक्त के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, निर्देशों के किसी भी निरस्तीकरण या संशोधन से होने वाले किसी भी नुकसान का वहन कार्डधारक द्वारा किया जाएगा.

प्रीपेड नेटबैंकिंग सुविधा

39. फॉरेक्सप्लस कार्ड जारी करते समय, कार्डधारक को आईपिन भी जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से कार्डधारक अपने सभी भावी लेनदेन के लिए कार्ड के संबंध में दी जाने वाली प्रीपेड कार्ड नेटबैंकिंग पोर्टल सेवाओं तक पहुंचने का अधिकार होगा.
40. कार्डधारक प्रीपेड कार्ड नेटबैंकिंग के माध्यम से एक करेंसी वॉलेट में पड़ी शेष राशि को दूसरे करेंसी वॉलेट में बैंक द्वारा निर्धारित लागू मुद्रा विनिमय दर पर स्थानांतरित करने का भी अधिकार होगा और उसे शेष राशि के ऐसे हस्तांतरण के समय सूचित किया जाएगा. ऑनलाइन वॉलेट-टू-वॉलेट अंतरण करने की मंशा / उद्देश्य केवल अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान व्यक्तिगत उपभोग के लिए पॉइंट ऑफ़ सेल (POS) / एटीएम कैश निकासी / ई-कॉमर्स लेनदेन करने के लिए संबंधित देश में लेनदेन करने की कार्डधारक की आवश्यकता के प्रति होना चाहिए.
41. बैंक के पास कार्डधारक द्वारा सट्टा संबंधी लाभ कमाने और अधिकतम विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ का फायदा उठाने के इरादे से किए गए किसी भी वॉलेट-टू-वॉलेट लेनदेन की स्थिति में कार्ड को स्थायी रूप से ब्लॉक करने और कार्डधारक द्वारा किए गए किसी भी ऐसे लाभ को कार्ड से डेबिट करके वसूलने का अधिकार सुरक्षित है.
42. प्रीपेड कार्ड नेटबैंकिंग सेवा के माध्यम से, कार्डधारक को एटीएम पिन को अनुकूलित करने का भी अधिकार होगा, जो कार्डधारक को किसी भी बैंक के एटीएम (अंतर्राष्ट्रीय) तक पहुंचने के लिए आवश्यक होगा, जो वीज़ा/प्लस/मास्टरकार्ड एटीएम नेटवर्क के सदस्य हैं.
43. यह स्पष्ट किया जाता है कि एटीएम पिन/आईपीआईएन के संशोधन और सुरक्षा के लिए कार्डधारक पूरी तरह उत्तरदायी होगा.
44. कार्डधारक समझता है कि प्रदान की जा रही कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सुविधा केवल कार्डधारक की सुविधा के लिए है. कार्डधारक सहमत है और स्वीकार करता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से संचार तीसरे पक्ष द्वारा अनधिकृत पहुँच के परिणामस्वरूप हस्तक्षेप या संशोधन के अधीन है और/या संचार में त्रुटियों के कारण संचार की हानि या संशोधन के अधीन है. यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक विधिवत प्राप्त किसी भी ऐसे संचार पर भरोसा करने और उस पर कार्रवाई करने का अधिकारी होगा, बिना किसी ऐसे संचार की प्रामाणिकता, वैधता या शुद्धता के बारे में स्वतंत्र सत्यापन करने की अपेक्षा या अपेक्षा किए.

कार्डधारक के दायित्व

45. कार्डधारक को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्ड सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और कार्ड जारी करते समय बैंक द्वारा जारी किया गया एटीएम पिन/आईपीआईएन गुप्त रखा जाए. कार्डधारक किसी भी परिस्थिति में कार्ड को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा. कार्डधारक कार्ड प्राप्त होने के तुरंत बाद कार्ड के पीछे हस्ताक्षर करेगा.
46. कार्ड के संबंध में बैंक द्वारा लागू किए गए किसी भी सुरक्षा उपाय के बावजूद, बैंक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कार्ड के किसी भी दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें कार्डधारक द्वारा ऐसे व्यक्ति को एक्टिवेशन कोड या एटीएम पिन/आईपीआईएन बताना भी शामिल है.
47. व्यक्तिगत पहचान संख्या (पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर या पिन) : बैंक कार्डधारक को एक पिन आवंटित करेगा, जिसका उपयोग एटीएम पर नकद निकासी और शेष राशि की जांच के लिए किया जाएगा. कार्डधारक को प्रीपेड कार्ड नेटबैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करते हुए, यहां दिए गए प्रावधानों के अनुसार, एटीएम पिन बदलने का अधिकार होगा. कार्डधारक एटीएम पिन/आईपीआईएन की गोपनीयता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा. कार्ड के अनधिकृत उपयोग के लिए बैंक कोई दायित्व नहीं लेता है.
48. कार्डधारक बैंक द्वारा कार्ड के संबंध में दी गई सभी सुविधाओं तथा कार्ड के उपयोग से संबंधित सभी शुल्कों के लिए जिम्मेदार होगा.

49. यदि कार्डधारक को खाता-विवरण में दर्शाए गए किसी भी शुल्क के संबंध में कोई विवाद है, तो कार्डधारक को खाता-विवरण तिथि से 30 दिनों के भीतर बैंक को विवरण बताना होगा, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि सभी शुल्क स्वीकार्य हैं और सही हैं. बैंक अपने विवेक से 30 दिनों से अधिक पुराने शुल्कों पर किसी भी विवाद को स्वीकार करने में असमर्थ है.
50. कार्डधारक और/या कॉर्पोरेट/उद्यम द्वारा बैंक को देय कोई भी राशि, यदि अलग से भुगतान नहीं की जाती है, तो बैंक द्वारा फॉरेक्सप्लस कार्ड पर उपलब्ध शेष राशि से वसूल की जाएगी और/या एचडीएफसी बैंक में कार्डधारक के किसी भी खाते से देय राशि डेबिट कर दी जाएगी.
51. किसी भी परिस्थिति में कार्डधारक द्वारा कार्ड को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है.
52. एक ही मुद्रा के एक से अधिक कार्ड खरीदने की अनुमति नहीं है.
53. कार्डधारक को फॉरेक्सप्लस कार्ड/वॉलेट में लोड किए गए फंड के संबंध में कोई ब्याज अर्जित करने का अधिकार नहीं है और ये फंड एचडीएफसी बैंक के पास कार्डधारक द्वारा जमा राशि नहीं हैं. कार्डधारक को किसी भी ओवरड्राफ्ट/क्रेडिट सुविधा का अधिकार नहीं देता है.
54. आप वचन देते हैं और सहमत हैं कि आप कार्ड का उपयोग किसी भी अवैध उद्देश्य या खरीद हेतु भुगतान करने के लिए नहीं करेंगे, अर्थात ऐसी वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के लिए नहीं, जिनकी अनुमति आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार नहीं दी गई है.

अप्रयुक्त विदेशी मुद्रा के संबंध में कार्डधारक पर दायित्व

55. अप्रयुक्त/अनुपयोगित विदेशी मुद्रा को कार्डधारक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, प्रत्यावर्तन और अभ्यर्पण) विनियम, 2015 के अनुसार, ऐसी प्राप्ति/प्राप्ति/खरीद/अर्जन की तिथि या भारत में वापसी की तिथि से 180 दिनों की अवधि के भीतर बैंक को प्रत्यावर्तित और अभ्यर्पित किया जाएगा.

अप्रयुक्त शेष राशि का प्रतिदान

56. बैंक द्वारा कार्डधारक, जिसे कार्ड जारी किया गया है, के अनुरोध पर कार्ड में बकाया अप्रयुक्त शेष राशि का प्रतिदान तत्काल किया जाएगा, बशर्ते कि आरबीआई के लागू निर्देशों के अनुसार कुछ राशि को अपने पास रखा जाए.

खोए या चोरी हुए कार्ड

57. यदि कार्डधारक को लगता है कि उसका कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या उसका दुरुपयोग हुआ है, तो उसे बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र पर तुरंत इसकी सूचना देनी चाहिए.
58. यदि कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है या उसका दुरुपयोग किया जाता है, तो कार्डधारक को तुरंत प्रीपेड कार्ड नेटबैंकिंग एक्सेस के माध्यम से या दिए गए टोल-फ्री नंबर (यहाँ क्लिक करें) पर कॉल करके कार्ड को हॉटलिस्ट करना चाहिए या इसके लिए ग्राहक निकटतम शाखा में जा सकता है. कार्ड के खो जाने या चोरी हो जाने के बाद कार्ड पर कोई अनधिकृत लेनदेन होने की स्थिति में, कार्डधारक को स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए और उसके बाद बैंक को एक प्रति भेजनी चाहिए. कार्डधारक कार्ड पर लगने वाले सभी शुल्कों के लिए उत्तरदायी होगा जब तक कि कार्ड हॉट-लिस्ट न हो जाए. बिना हस्ताक्षर वाले कार्ड के मामले में, कार्डधारक उस पर लगने वाले सभी शुल्कों के लिए उत्तरदायी होगा. पर्याप्त सत्यापन के बाद बैंक कार्ड को स्थायी रूप से निलंबित कर देगा और इस कारण कार्डधारक को होने वाली किसी भी असुविधा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा. बैंक ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तुरंत कार्ड को हॉटलिस्ट/निरस्त कर देगा.
59. यदि कार्डधारक विदेश में अपना कार्ड खो देता है और उसे आपातकालीन नकदी की आवश्यकता होती है, तो कार्डधारक आगामी सहायता के लिए 24*7 फ़ोन बैंकिंग नंबर (यहाँ क्लिक करें) पर कॉल कर सकता है. कार्डधारक को लेन-देन के दौरान सभी चरणों में मुद्रा रूपांतरण से संबंधित सभी लागतों को वहन करना होगा.
60. कार्डधारक को इस तथ्य का संज्ञान लेना चाहिए कि जब कार्ड के खो जाने, चोरी हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने की सूचना दी जाती है और बाद में वह मिल जाता है, तो उसे तुरंत मैगस्ट्रिप और चिप के बीच से आधा काट दिया जाएगा, बैंक को वापस कर दिया जाएगा तथा उसका दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाएगी.
61. फॉरेक्सप्लस कार्ड की सुरक्षा के लिए कार्डधारक जिम्मेदार है और उसे इसे सुरक्षित रखने के लिए सभी कदम उठाने होंगे. यदि बैंक को लगता है कि ऊपर बताए गए कदम संदिग्ध हैं, तो खोए या चोरी हुए कार्ड से संबंधित वित्तीय उत्तरदायित्व कार्डधारक का होगा.
62. बैंक द्वारा प्रतिस्थापन कार्ड जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि कार्डधारक ने उससे संबंधित नियमों और शर्तों का सभी प्रकार से अनुपालन किया हो.

एटीएम उपयोग

63. फॉरेक्सप्लस कार्ड को एटीएम स्थानों पर गोपनीय एटीएम पिन की सहायता से संचालित किया जा सकता है. एटीएम पिन को कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए या उसे लिखकर नहीं रखना चाहिए, जहाँ कोई अन्य व्यक्ति उसे खोज सके. एटीएम पिन की गोपनीयता का ऐसा कोई भी प्रकटीकरण या अपर्याप्त सुरक्षा पूरी तरह से कार्डधारक के जोखिम पर है. एटीएम पिन के उपयोग से किए गए सभी लेन-देन कार्डधारक की जिम्मेदारी होगी और वह लेन-देन के रिकॉर्ड का पालन करेगा.

64. फॉरेक्सप्लस कार्ड किसी भी एटीएम पर स्वीकार्य है जो विदेश में स्थित संस्थानों से संबंधित नेटवर्क (वीज़ा/प्लस/मास्टरकार्ड) का हिस्सा है. बैंक कार्डधारक द्वारा अन्य संस्थानों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें ऐसी सेवाएँ शामिल हैं, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं हैं. यदि कार्डधारक को किसी वीज़ा/प्लस/मास्टरकार्ड एटीएम नेटवर्क प्रतिष्ठान के बारे में कोई शिकायत है, तो मामले को कार्डधारक और प्रतिष्ठान द्वारा सुलझाया जाना चाहिए और ऐसा न करने पर उसे बैंक के प्रति किसी भी दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी. हालाँकि, कार्डधारक को इस शिकायत के बारे में तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए.

65. बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित की जाने वाली सुविधाओं के लिए अलग-अलग सेवा शुल्क लगाए जाएंगे, और ऐसे शुल्क बैंक द्वारा कार्ड पर उपलब्ध शेष राशि से काटे जा सकते हैं. ऐसी स्थिति में जहां कार्ड में ऐसे सेवा शुल्क काटने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है, बैंक ऐसे लेनदेन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और बैंक का निर्णय कार्डधारक पर बाध्यकारी होगा. लेनदेन के अस्वीकार से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा. बैंक को किसी अन्य ग्रहणाधिकार या शुल्क की परवाह किए बिना, कार्ड या किसी करेंसी वॉलेट में रखे गए सभी शेष राशि के वर्तमान या भविष्य के मूल्य को, बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी बकाया राशि की सीमा तक, सेट-ऑफ और ग्रहणाधिकार करने का अधिकार होगा.

66. एचडीएफसी बैंक किसी भी सेवा को प्रदान करने या उसके किसी दायित्व को पूरा करने में किसी भी विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जहां ऐसी विफलता (चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) एटीएम / पीओएस मशीन / पेमेंट गेटवे / ऑनलाइन पोर्टल या कार्ड की अस्थायी खराबी, धन की अपर्याप्तता, किसी विवाद या इसके नियंत्रण से परे अन्य परिस्थिति के कारण हो.

67. कार्डधारक द्वारा धारित धनराशि से अधिक डेबिट होने की स्थिति में, कार्डधारक बैंक को अपने खाते से डेबिट करने की अनुमति देता है और/या यदि बैंक में उसका कोई परिचालनीय खाता नहीं है, तो वापसी पर ऐसे अतिरिक्त उपयोग के लिए बैंक को धनराशि की प्रतिपूर्ति करता है.

68. बैंक, कार्ड और संबंधित पिन के खो जाने/जारी होने से उत्पन्न होने वाली किसी भी परिणामी या अप्रत्यक्ष हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे इसका कारण कुछ भी हो.

69. जिस देश में कार्ड जारी किया गया था, उसके अलावा किसी अन्य देश में एटीएम सेवाओं की उपलब्धता उस देश में लागू स्थानीय विनियमों द्वारा नियंत्रित होती है. यदि बिना सूचना के ये सेवाएँ वापस ले ली जाती हैं, तो इसके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा.

70. कुछ अंतर्राष्ट्रीय एटीएम निकासी पर अतिरिक्त शुल्क लगा सकते हैं. ये शुल्क एचडीएफसी बैंक द्वारा लगाए गए एटीएम निकासी शुल्क से अलग हैं. ये शुल्क विदेशी बैंक के आधार पर अलग-अलग शब्दावली में दिखाई दे सकते हैं, जैसे एटीएम एक्सेस फी, एटीएम ऑनरशिप फी.

71. एचडीएफसी बैंक ऐसे किसी भी शुल्क के लिए जिम्मेदार नहीं है और यदि कार्ड के उपयोग के कारण शुल्क लगाया जाता है तो वह उसे वापस नहीं कर सकेगा.

सचेतक सूचनाएं

72. बैंक समय-समय पर कार्डधारकों को कार्ड के उपयोग/धारण के संबंध में सचेतक सूचनाएं (अलर्ट) भेजने का विकल्प चुन सकता है, इसके लिए वह किसी भी विधि का उपयोग कर सकता है, जिसमें ईमेल और/या एसएमएस विधि शामिल हैं, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है. ऐसे अलर्ट भेजने के उद्देश्य से, बैंक कार्डधारक द्वारा आवेदन पत्र में या उसके बाद किसी भी लिखित रूप में दी गई किसी भी जानकारी पर विश्वास करने का अधिकार होगा. बैंक किसी भी समय ऐसी सचेतक सूचना (अलर्ट) सुविधा को संशोधित या वापस ले सकता है, जैसा कि वह उचित समझे.

73. यदि आपकी ई-मेल आईडी और/या आपके मोबाइल नंबर में कोई बदलाव होता है, तो आपको प्रीपेड कार्ड नेटबैंकिंग के माध्यम से बैंक रिकॉर्ड में इसे अद्यतन करवाना होगा या एचडीएफसी बैंक शाखाओं को ऐसे संशोधनों के बारे में लिखित में अनुरोध करना होगा. यदि आपको आपके या संबंधित दूरसंचार ऑपरेटर की ओर से किसी तकनीकी कारण से या बैंक के उचित नियंत्रण में न होने वाले किसी कारण से ऐसी सचेतक सूचना (अलर्ट) प्राप्त नहीं होती है, तो एचडीएफसी बैंक आपको होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति या असुविधा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

व्यापारी स्थान संबंधी उपयोग

74. फॉरेक्सप्लस कार्ड विदेश में स्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर स्वीकार्य है, जहां नेटवर्क पार्टनर (वीज़ा/मास्टरकार्ड) का लोगो प्रदर्शित किया जाता है.

75. कार्ड केवल इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के लिए है और केवल उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर स्वीकार्य होगा जिनके पास ईडीसी टर्मिनल है, या जो स्वीकार्य भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के लिए कार्ड का आदर कर रहे हैं. कार्ड व्यापारिक प्रतिष्ठानों में स्थापित ईडीसी टर्मिनलों पर कार्डधारक के हस्ताक्षर/एटीएम पिन की मदद से या संबंधित वेबसाइटों पर कार्ड के उपयोग के साथ स्वीकार्य/संचालित है. इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के अलावा कार्ड का कोई भी उपयोग अनधिकृत माना जाएगा और कार्डधारक ऐसे लेनदेन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा. इस अनुच्छेद 4 के प्रयोजन से "इलेक्ट्रॉनिक उपयोग" को व्यापारी द्वारा ऑनलाइन मोड में संसाधित किए गए लेनदेन के रूप में समझा जाएगा और जहां चार्ज स्लिप/लेनदेन पर्ची ईडीसी टर्मिनल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मुद्रित की जाती है.

76. ईडीसी टर्मिनल द्वारा विक्रय पर्ची तैयार किए जाने के बाद लेनदेन को अधिकृत और पूर्ण माना जाता है. लेनदेन की राशि कार्ड पर उपलब्ध शेष राशि से तुरंत डेबिट हो जाती है. कार्डधारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्ड का उपयोग प्रत्येक खरीद के लिए व्यापारी प्रतिष्ठान में केवल एक बार किया जाए. कार्ड का उपयोग किए जाने पर प्रत्येक बार विक्रय पर्ची मुद्रित की जाएगी और कार्डधारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक ऐसे उपयोग के समय व्यापारी प्रतिष्ठान में कार्ड का एक से अधिक बार उपयोग न हो.

77. बैंक कार्डधारक द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ किए गए किसी भी लेन-देन का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें माल और सेवाओं की आपूर्ति शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है. यदि कार्डधारक को किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान के बारे में कोई शिकायत है, तो कार्डधारक को उस मामले को व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ सुलझाना चाहिए और ऐसा न करने पर उसे बैंक के प्रति किसी भी दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी. हालाँकि, कार्डधारक को इस शिकायत के बारे में तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए.

78. बैंक, किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान या एटीएम सेवा प्रदाता बैंक/एटीएम नेटवर्क द्वारा लगाए गए किसी भी अधिभार तथा लेनदेन राशि के साथ कार्ड के शेष राशि में कटौती के लिए कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता है.

79. जब भी कार्ड का उपयोग किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में किया जाता है, तो कार्डधारक को विक्रय पर्ची पर हस्ताक्षर करना चाहिए और उसकी प्रति अपने पास रखनी चाहिए. बैंक अतिरिक्त शुल्क पर विक्रय पर्ची की प्रतियां दे सकता है. कोई भी विक्रय पर्ची जिस पर कार्डधारक द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, लेकिन जिसे कार्डधारक द्वारा अधिकृत होने के रूप में साबित किया जा सकता है, वह कार्डधारक पर बाध्यकारी होगी.

80. बैंक द्वारा भुगतान के लिए किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान से प्राप्त कोई प्रभार या अन्य भुगतान मांग, इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि ऐसी मांग पर दर्ज प्रभार, उस व्यापारिक प्रतिष्ठान में, उस प्रभार या अन्य मांग में निर्दिष्ट राशि में तथा कार्डधारक द्वारा, जैसा भी मामला हो, कार्ड के उपयोग द्वारा उचित रूप से व्यय किया गया है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां कार्ड खो गया हो, चोरी हो गया हो या धोखाधड़ी से उसका दुरुपयोग किया गया हो, जिसके लिए प्रमाण का भार कार्डधारक पर होगा.

81. यदि कोई व्यापारी किसी त्रुटि या माल वापसी के कारण पूर्ण किए गए लेनदेन को निरस्त करना चाहता है, तो उसे पहले की विक्रय रसीद को निरस्त करना होगा और निरस्त की गई रसीद की एक प्रति अपने पास रखनी होगी. ऐसे लेनदेन के कारण डेबिट का खुलासा/वापसी मैन्युअल रूप से संसाधित की जाएगी और यदि कहा जाए तो निरस्त की गई विक्रय पर्ची प्रस्तुत करनी होगी.

82. किसी भी व्यापारी/डिवाइस त्रुटि या संचार लिंक के कारण समस्त धनवापसी और समायोजन हस्तगत रूप से संसाधित किए जाएंगे और उचित सत्यापन के बाद और नेटवर्क साझेदारों (वीज़ा/मास्टरकार्ड) के नियमों और विनियमों के अनुसार, और बैंक द्वारा निर्धारित मुद्रा में कार्ड में राशि जमा की जाएगी. कार्डधारक इस बात के लिए सहमत है कि इस समयावधि के दौरान प्राप्त किसी भी डेबिट को इस धनवापसी पर विचार किए बिना केवल खाते में उपलब्ध शेष राशि के आधार पर आदरित किया जाएगा. कार्डधारक भुगतान निर्देशों का अनादर करने के ऐसे कृत्यों से बैंक को हानिरहित भी रखता है.

83. इस कार्ड का उपयोग होटलों में चेक-इन (पूर्व-अधिकरण लेनदेन) के दौरान नहीं किया जाना चाहिए, तथा ऐसे अन्य स्थानों पर भी नहीं किया जाना चाहिए, जहां खरीद लेनदेन या सेवा पूरी होने से पहले भुगतान की व्यवस्था की जाती है.

84. कार्ड का उपयोग किसी भी मेल ऑर्डर/फोन ऑर्डर/इंटरनेट खरीद के लिए नहीं किया जाना चाहिए और ऐसा कोई भी उपयोग अनधिकृत माना जाएगा और इसके लिए कार्डधारक ही पूरी तरह से उत्तरदायी होगा. कार्डधारक के उत्तरदायित्व के बावजूद, बैंक ऐसे लेनदेन को अस्वीकार करने का अधिकारी होगा.

85. माल और सेवाओं की गुणवत्ता : बैंक किसी भी तरह से व्यापारिक प्रतिष्ठानों से कार्डधारक द्वारा खरीदे गए या प्राप्त किए गए माल, वारंटी या सेवाओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें डिलीवरी में विलंब, डिलीवरी नहीं होना, माल का प्राप्त नहीं होना या कार्डधारक द्वारा दिए गए ऑर्डर से दोषपूर्ण माल प्राप्त होना शामिल है. यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि कार्ड सुविधा पूरी तरह से कार्डधारक को माल खरीदने या सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा है और बैंक माल या सेवाओं के संबंध में गुणवत्ता, डिलीवरी या अन्यथा के बारे में कोई वारंटी नहीं देता है या कोई अभ्यावेदन नहीं करता है, और किसी भी विवाद को कार्डधारक द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ हल किया जाना चाहिए.

86. किसी वस्तु/सेवा को निरस्त करने के लिए खरीद और उसके बाद के क्रेडिट को दो अलग-अलग लेनदेन माना जाएगा. यदि आपको कोई रिफंड मिलता है तो वह व्यापारी से प्राप्त होने पर ही आपके खाते में (निरस्तीकरण शुल्क घटाकर) जमा किया जाएगा. यदि धनवापसी के दिन से 30 दिनों के भीतर आपके कार्ड खाते में क्रेडिट नहीं किया जाता है तो आपको एचडीएफसी बैंक को सूचित करना होगा, साथ ही व्यापारी से क्रेडिट नोट/शून्य पर्ची या व्यापारी से प्राधिकरण निरस्तीकरण पत्र की एक प्रति भी भेजनी होगी. यानी व्यापारी के लेटरहेड पर व्यापारी का एक पत्र जिसमें निम्नलिखित विवरण दिए गए हों (कार्ड नंबर, लेनदेन की तिथि, लेनदेन की राशि और अधिकरण कोड जिसे जारी किया जाना चाहिए और इस पत्र पर व्यापारी की मुहर के साथ हस्ताक्षर होने चाहिए). एचडीएफसी बैंक इस संबंध में किसी भी कारण से हुई किसी भी देरी के लिए कोई उत्तरदायित्व और/या दायित्व स्वीकार नहीं करता है.

कार्ड का उपयोग

87. बैंक, कार्ड के उपयोग से किए गए सभी सामानों या सेवाओं, नकद, शुल्क, प्रभार और भुगतानों की खरीद के मूल्य के लिए, ऊपर बताए गए तरीके से कार्ड पर शेष राशि को डेबिट करेगा ('लेनदेन'). सभी लेन-देन कार्ड के विवरण में दर्शाए जाएंगे. ऐसे विवरण कार्डधारक को उस महीने के अंत में प्रदान किए जाएंगे जिसमें कार्ड का उपयोग लेनदेन के लिए किया गया है, जो पंजीकृत डाक पते पर भौतिक विवरण के माध्यम से या कार्डधारक के पंजीकृत ईमेल पते पर ई-मेल के माध्यम से होंगे. इसके अलावा, पिछले 6 महीनों के ऐसे विवरण भी प्रीपेड कार्ड नेटबैंकिंग सुविधा के माध्यम से कार्डधारक को उपलब्ध कराए जाएंगे.

किसी लेन-देन से संबंधित राशि लेन-देन की शुरुआत की तिथि ("लेन-देन अधिकरण") पर कार्ड पर शेष राशि से डेबिट की जाएगी, लेकिन जब तक संबंधित व्यापारी/अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा निपटान के लिए दावा नहीं किया जाता है, तब तक खाता-विवरण में "लंबित" के रूप में दिखाई देगी, जो अवधि लेन-देन की शुरुआत की तिथि ("लेन-देन निपटान") से 15 दिनों तक बढ़ सकती है. लेन-देन निपटान तिथि पर, पहले की डेबिट प्रविष्टि को संबंधित क्रेडिट प्रविष्टि के माध्यम से उलट दिया जाएगा और उक्त लेन-देन के लिए एक नई डेबिट प्रविष्टि खाता-विवरण में दिखाई देगी. इसलिए लेन-देन निपटान तिथि पर लेन-देन "निपटान" के रूप में दिखाई देगा.

बशर्ते कि लेनदेन अधिकरण की तिथि और लेनदेन निपटान की तिथि पर कार्ड पर डेबिट की गई राशि मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव या परिवर्तन के कारण या व्यापारी/अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा लगाए गए किसी दंड या अतिरिक्त शुल्क के कारण या लेनदेन अधिकरण की तिथि पर हिसाब में न लिए गए किसी अतिरिक्त व्यय/शुल्क के कारण भिन्न हो सकती है. लेनदेन निपटान की तिथि पर डेबिट की गई राशि कार्ड पर डेबिट की गई अंतिम राशि होगी और ग्राहक लेनदेन निपटान तिथि पर कार्ड पर लगाए गए किसी भी नुकसान/अतिरिक्त शुल्क को वहन करने के लिए सहमत है.

कार्डधारक इस बात से सहमत है कि उसके कार्ड से संबंधित लेनदेन का बैंक का रिकॉर्ड प्रामाणिक और निर्णायक है.

88. कार्डधारक को सलाह दी जाती है कि वह व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर एटीएम/ईडीसी टर्मिनलों द्वारा उत्पन्न लेनदेन का रिकॉर्ड अपने पास रखें.

89. कार्डधारक इस बात से सहमत है और समझता है कि ऐसे हालात हो सकते हैं जब फॉरेक्सप्लस कार्ड का अधिक उपयोग हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक को कार्डधारक की ओर से भुगतान करना पड़ता है, और कार्ड में ऋणात्मक शेष राशि आ जाती है. कार्डधारक इस बात से सहमत है और समझता है तथा बैंक को इस ऋणात्मक कार्ड शेष राशि को ठीक करने की जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि बैंक ने कार्डधारक द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं/सेवाओं के लिए इस राशि का भुगतान किया है. कार्डधारक यह भी स्वीकार करता है कि बैंक कार्डधारक से किसी भी पूर्व पुष्टि के बिना बैंक में रखे गए मेरे खाते को डेबिट करके ऋणात्मक कार्ड शेष राशि को नियमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

90. कार्डधारक इस बात पर सहमत है कि जब तक कार्ड पर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो, तब तक वह कार्ड का उपयोग करके पैसे निकालने/खरीदारी करने का प्रयास नहीं करेगा. कार्ड में पर्याप्त शेष राशि सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से कार्डधारक की होगी.

91. एचडीएफसी बैंक प्रीपेड कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग करके भारत से बाहर कैपिटल अकाउंट लेनदेन जैसे ``भारत से बाहर बैंक में खाता खोलना, निवेश, किसी निकाय की स्थापना करना और अचल संपत्ति खरीदने'' की अनुमति/ आज्ञा नहीं है.

92. फॉरेक्सप्लस कार्ड का उपयोग इंटरनेट पर या अन्यथा लॉटरी टिकट, आभासी मुद्रा (वर्चुअल करेंसी), जुआ, प्रतिबंधित या निषिद्ध पत्रिकाओं, स्वीपस्टेक में भागीदारी, कॉल-बैक सेवाओं के लिए भुगतान, विदेशी विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए किसी भी रूप में धन प्रेषण, विदेशी एक्सचेंजों / विदेशी प्रतिपक्षियों को मार्जिन कॉल या घरेलू / विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा में व्यापार आदि जैसी निषिद्ध वस्तुओं की खरीद के लिए नहीं किया जा सकता है.

गतिशील मुद्रा रूपांतरण (डायनेमिक करेंसी कंवर्ज़न या डीसीसी) सुविधा

93. डीसीसी का अर्थ है डायनामिक करेंसी कन्वर्जन जबकि एमसीसी का अर्थ है मल्टीपल करेंसी कन्वर्जन.

94. एटीएम/पीओएस पर डीसीसी/एमसीसी कार्डधारक को अपनी पसंद की मुद्रा में लेनदेन शुरू करने का विकल्प देता है. यह कार्डधारक को लेनदेन के समय चुनी गई मुद्रा में सटीक लेनदेन मूल्य जानने में भी सहायता करता है.

95. फॉरेक्सप्लस कार्डधारक के लिए भुगतान के लिए फॉरेक्सप्लस कार्ड का उपयोग करते समय डीसीसी/एमसीसी का विकल्प चुनना उचित **नहीं** है, क्योंकि लेनदेन दो बार क्रॉस करेंसी रूपांतरण से गुजरता है।

96. डीसीसी में रूपांतरण के पहले चरण के मामले में, अर्थात स्थानीय मुद्रा से कार्डधारक की पसंद की मुद्रा में रूपांतरण, विनिमय दर वीज़ा/प्लस/मास्टरकार्ड द्वारा तय की जाती है और लेनदेन के समय कार्डधारक को सूचित की जाती है. **विनिमय दर तय करने में बैंक की कोई भूमिका नहीं होती है.**

97. डीसीसी में रूपांतरण के दूसरे चरण के मामले में, अर्थात कार्डधारक की पसंद की मुद्रा से फॉरेक्सप्लस कार्ड पर उपलब्ध मुद्रा में रूपांतरण, रूपांतरण पर क्रॉस करेंसी लेनदेन शुल्क भी लगेगा, जो कार्डधारक के खाते से डेबिट हो जाएगा.

निवासी

98. कार्ड का उपयोग लागू विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुसार उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है.

99. आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि विदेश यात्रा के दौरान कार्ड के उपयोग के कारण खर्च की गई राशि कार्डधारक की विदेशी मुद्रा की पात्रता से अधिक हो जाती है, तो कार्डधारक को उपयोग की गई विदेशी मुद्रा के उपयोग के लिए दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रदान करना चाहिए. बैंक को इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए किसी भी संबंधित प्राधिकरण को रिपोर्ट करने का अधिकार है.

100. लागू कानूनों के अनुसार, प्रत्येक विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए कार्डधारक को विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित A2 फॉर्म जमा करना चाहिए. (नमूने के लिए यहां क्लिक करें). LRS के अंतर्गत धन प्रेषण करने के लिए कार्डधारक के लिए अपना स्थायी खाता संख्या (PAN) प्रदान करना अनिवार्य है.

101. यदि कार्डधारक से संपर्क नहीं हो पाता है या वह आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट रिपोर्टिंग अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो कार्डधारक बैंक को कार्डधारक की ओर से विदेशी मुद्रा (A2 फॉर्म) की खरीद के लिए अनुरोध भरने और प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत और क्षतिपूर्ति करता है.

लोडिंग राशि से अधिक धनराशि की प्राप्ति

102. यदि कार्डधारक को लोडिंग राशि से अधिक धनराशि प्राप्त हुई है, तो कार्डधारक एचडीएफसी बैंक द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर तुरंत एचडीएफसी बैंक को ऐसी धनराशि का भुगतान करने के लिए सहमत है. यदि एचडीएफसी बैंक के पास यह मानने का आधार है कि कार्डधारक को किसी भी कारण से (एटीएम, पीओएस या अन्य उपकरण या एचडीएफसी बैंक सिस्टम की खराबी सहित) कार्डधारक द्वारा अनुरोधित लोडिंग राशि से अधिक धनराशि प्राप्त हुई है, तो एचडीएफसी बैंक कार्डधारक को इसकी सूचना देगा और कार्डधारक द्वारा प्राप्त अतिरिक्त धनराशि को एचडीएफसी बैंक द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर लोडिंग राशि से काट लेगा. एचडीएफसी बैंक अपने या अपनी किसी समूह कंपनी के साथ रखे गए कार्डधारक के किसी भी खाते से ऐसी अतिरिक्त धनराशि वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, चाहे वह खाता संयुक्त खाता हो या एकल खाता हो या अन्यथा, या और/या कार्डधारक को सूचना मिलने पर ऐसी अतिरिक्त धनराशि का तुरंत भुगतान करने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो एचडीएफसी बैंक द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार होगा. यदि एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी बैंक की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कार्डधारक से बकाया राशि/लोडिंग राशि से अधिक प्राप्त धनराशि के निपटान के लिए मांग या दावा किया जाता है, तो कार्डधारक को एचडीएफसी बैंक को बिना किसी शर्त के कार्ड पर बकाया पूरी राशि और/या लोडिंग राशि से अधिक प्राप्त धनराशि का भुगतान करना होगा. इन

नियमों और शर्तों में से कोई भी एचडीएफसी बैंक के कानून के अंतर्गत या एचडीएफसी बैंक और कार्डधारक के बीच समय से मौजूद किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत धन के ग्रहणाधिकार, सेट-ऑफ, हस्तांतरण और आवेदन के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा.

कार्डधारक शिकायत निवारण

103. कार्डधारक कार्ड या खाता-विवरण आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में एचडीएफसी बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र को टोल फ्री नंबर **<टोल-फ्री नंबर डालें>** पर कॉल कर सकता है. वैकल्पिक रूप से, कार्डधारक एचडीएफसी बैंक को इस पते पर ईमेल कर सकता है: **<यहां ईमेल पता डालें>**. कार्डधारक को एचडीएफसी बैंक को लिखित रूप में पर्याप्त और सही विवरण प्रदान करना चाहिए ताकि एचडीएफसी बैंक शिकायत या प्रश्न की जांच कर सके और उचित तरीके से जवाब दे सके. नवीनतम ग्राहक सेवा नंबर के लिए, कार्डधारक एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट देख सकता है.

104. ऐसे पत्राचार में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जाएगी:
    a) कार्डधारक का नाम, पता और कार्ड नंबर
    b) लेन-देन और/या शिकायत का विस्तृत विवरण (लेन-देन की तिथि और एटीएम/व्यापारिक प्रतिष्ठान का स्थान सहित) और कार्डधारक द्वारा लेन-देन पर विवाद करने या कोई प्रश्न या शिकायत उठाने का आधार या कारण; तथा
    c) लेन-देन की राशि

105. यदि मामले की जांच या समाधान के लिए एचडीएफसी बैंक को किसी अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज की आवश्यकता होगी, तो कार्डधारक उसे उपलब्ध कराने के लिए सहमत है.

106. जहां जांच का निपटान कार्डधारक की संतुष्टि के अनुसार नहीं होता है, वहां एचडीएफसी बैंक लिखित रूप में या अन्यथा कार्डधारक को अपनी जांच के परिणामों और/या शिकायत के समाधान के तरीके, यदि कोई हो, के बारे में सूचित कर सकता है.

107. यदि कार्डधारक को शिकायत दर्ज कराने के 30 दिनों के भीतर बैंक से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो कार्डधारक रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस), 2021 के अंतर्गत बैंकिंग लोकपाल को शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी भी संबंधित विनियमन, निर्देश और दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जाना चाहिए.

108. कार्डधारक अपनी शिकायतें उचित उपभोक्ता फोरम में या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर संपर्क करके भी दर्ज करा सकते हैं. इस बारे में अधिक जानकारी consumerhelpline.gov.in पर देखी जा सकती है.

विवाद

109. कार्डधारक के हस्ताक्षर सहित विक्रय पर्ची तथा उस पर अंकित कार्ड संख्या, बैंक और कार्डधारक के बीच कार्डधारक द्वारा वहन की गई देयता की सीमा के संबंध में निर्णायक साक्ष्य होगी तथा बैंक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि कार्डधारक ने खरीदी गई/खरीदी जाने वाली वस्तुओं को विधिवत प्राप्त कर लिया है या कार्डधारक की संतुष्टि के अनुसार प्राप्त की गई सेवा को विधिवत प्राप्त कर लिया है.

110. बैंक असहमति की सूचना प्राप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर खाता-विवरण में दर्शाए गए लागू शुल्क से पीड़ित कार्डधारक की असहमति को हल करने के लिए वास्तविक और उचित प्रयास करेगा. यदि ऐसे प्रयासों के बाद, बैंक यह निर्धारित करता है कि दर्शाया गया शुल्क सही है, तो वह विक्रय पर्ची या भुगतान अनुरोध की एक प्रति सहित विवरण के साथ कार्डधारक को इसकी सूचना देगा.

111. बैंक किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड को स्वीकार करने से इनकार करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है. कार्डधारक को कार्ड खाते पर किए गए किसी भी अनधिकृत लेनदेन के लिए लेनदेन या एटीएम कैश निकासी के प्रयास की तिथि से 30 दिनों के भीतर बैंक के साथ विवाद उठाना होगा और उचित जांच करके विवादित लेनदेन को हल करने के लिए सभी उचित प्रयास करने होंगे और तदनुसार विवादित राशि के लिए व्यापारी अधिग्रहण बैंक के साथ चार्जबैक उठाना होगा. उठाए गए विवादित लेनदेन के लिए व्यापारी अधिग्रहण बैंक से प्राप्त चार्जबैक की पुनः प्रस्तुति की स्थिति में, व्यापारी अधिग्रहण बैंक का निर्णय अंतिम होगा और एचडीएफसी बैंक विवादित राशि के लिए कार्डधारक को किए जाने वाले किसी भी भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

    बैंक 30 दिनों के बाद कार्ड खाते पर किए गए किसी भी अनधिकृत लेनदेन के संबंध में कार्डधारक द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद को स्वीकार नहीं करेगा.

112. यह अनुबंध भारत के कानूनों के अनुसार बनाया जाएगा और उसके द्वारा शासित होगा. सभी विवाद केवल मुंबई, भारत की अदालतों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे.

113. कार्डधारक बकाया राशि की वसूली, कानूनी व्यय (यदि मामले को किसी एजेंट को सौंपना आवश्यक हो जाए) या विवाद के समाधान में कानूनी संसाधनों का उपयोग किए जाने की स्थिति में, सभी व्ययों के लिए उत्तरदायी होगा.

दायित्व का बहिष्करण

114. पूर्वोक्त के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, बैंक आवेदक के प्रति किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित से उत्पन्न हो:

a. आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं में कोई दोष

b. किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्ड का आदर करने या स्वीकार करने से इनकार करना

c. किसी भी पीओएस टर्मिनल/एटीएम/ईसीओएम की खराबी के कारण कार्ड और/या पिन स्वीकार न किया जाना/एटीएम मशीन द्वारा नकदी का वितरण न किया जाना.

d. कार्डधारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लेनदेन निर्देश को प्रभावी करना;

e. किसी व्यक्ति द्वारा कार्ड वापस करने का अनुरोध करते हुए दिया गया कोई बयान या किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से किया गया कोई कार्य;

f. कार्डधारक द्वारा बैंक परिसर में बैंक के नामित कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य को कार्ड सौंपना;

g. किसी तृतीय पक्ष को एक्टिवेशन कोड, एटीएम पिन या आईपिन का प्रकटीकरण करना;

h. बैंक द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग, कार्ड की समाप्ति तिथि से पूर्व उसे सौंपने की मांग करना और उसे प्राप्त करना, चाहे ऐसी मांग और समर्पण बैंक द्वारा किया गया हो या किसी व्यक्ति या कंप्यूटर टर्मिनल द्वारा;

i. बैंक द्वारा किसी भी कार्ड को समाप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग

j. कार्ड के पुनः कब्ज़े और/या, इसकी वापसी के लिए किसी अनुरोध या किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड को मानने या स्वीकार करने से इनकार करने के कारण आवेदक की ऋणात्मक छवि और प्रतिष्ठा को कथित रूप से कोई क्षति पहुंची हो;

k. बैंक द्वारा बताए गए किसी भी विवरण में कोई गलत बयान, गलत प्रस्तुति, त्रुटि या चूक;

l. लेनदेन की अस्वीकृति, क्योंकि कार्डधारक ने समय-समय पर जारी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी विदेशी मुद्रा की पात्रता को पार कर लिया है, या बैंक को पता चल गया है कि कार्डधारक ने अपनी पात्रता से अधिक खर्च किया है; और

m. किसी भी कारण से व्यापारी स्थान/एटीएम पर लेनदेन की अस्वीकृति.

बीमा संबंधी लाभ

115. कार्डधारक विशेष रूप से स्वीकार करता है कि बैंक किसी भी तरह से प्रदान की गई बीमा-सुरक्षा के आधार पर उत्तरदायी नहीं होगा, और यह कि बीमा कंपनी कार्डधारक की मृत्यु और/या सामान की हानि और/या पासपोर्ट की हानि के मामले में, यदि कोई हो, तो क्षतिपूर्ति के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगी और ऐसे बीमा-सुरक्षा से उत्पन्न या इसके संबंध में किसी भी मामले के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएगी, चाहे वह ऐसी बीमा-सुरक्षा में किसी भी कमी या दोष, क्षतिपूर्ति की वसूली या भुगतान, दावों की प्रक्रिया या निपटान या अन्यथा के संबंध में हो, और ऐसे सभी मामलों को सीधे बीमा कंपनी को संबोधित और सुलझाया जाएगा.

116. कार्डधारक स्वीकार करता है कि इस प्रकार प्रदान की गई बीमा-सुरक्षा कार्डधारक को केवल लागू प्रासंगिक बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार ही उपलब्ध होगा, और केवल तब तक जब तक कार्डधारक बैंक का कार्डधारक बना रहेगा और उसके साथ उसके संबंध अच्छे बने रहेंगे. किसी भी कारण से कार्ड को अस्थायी या स्थायी रूप से निरस्त या वापस लिए जाने पर, ऐसी बीमा-सुरक्षा का लाभ कार्ड बंद होने की ऐसी तिथि से स्वतः ही समाप्त हो जाएगा. इसके अलावा, कार्डधारक इस बात से भी सहमत है कि उसके कार्ड के जारी रहने के दौरान भी, बैंक किसी भी समय अपने विवेक से और कार्डधारक को उचित सूचना देकर, ऐसी बीमा-सुरक्षा के लाभ को निलंबित, वापस या निरस्त कर सकता है, और इस लाभ को जारी रखने के लिए बैंक पर कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं होगा.

117. मानार्थ कार्ड बीमा-सुरक्षा –

श्रेणी	**सिंगल करेंसी फॉरेक्सप्लस कार्ड**	**मल्टीकरेंसी और रेगलिया फॉरेक्सप्लस कार्ड**
		बीमा राशि/देयता की सीमा (मूल्य भारतीय रुपये में)
अनुभाग I – कार्ड देयता (स्किमिंग/जालसाजी/कार्ड गुम)	500,000	500,000
अनुभाग VI A – आकस्मिक मृत्यु (सड़क/रेल)*	200,000	500,000

अनुभाग VI A – आकस्मिक मृत्यु (वायु)*	500,000	2,500,000
अनुभाग VII C – व्यक्तिगत दस्तावेजों की हानि (केवल पासपोर्ट)	50,000	50,000
सेक्शन I – चोरी या डकैती के बाद एटीएम निकासी बीमा-सुरक्षा	60,000	60,000
अनुभाग VI A – चेक किए गए सामान की हानि (केवल हवाई अड्डों पर) एकल कोई भी एक वस्तु सीमा: 50%**	20,000	20,000

* चोट लगने के 12 महीने के भीतर दुर्घटनावश मृत्यु होने पर भी बीमा-सुरक्षा प्रदान की जाएगी.

एचडीएफसी बैंक फॉरेक्सप्लस कार्ड संस्करण की वैधता अवधि के दौरान हुई आकस्मिक चोट और उसके बाद हुई मृत्यु को ही बीमा-रक्षित किया जाएगा.

किसी भी स्थिति में, यदि बीमाधारक के पास एचडीएफसी बैंक के कई कार्ड हैं, तो व्यक्तिगत दुर्घटना दावा केवल एक कार्ड पर देय होगा, जिसमें अधिकतम लाभ (उच्चतम बीमा राशि) होगा.

** एयरलाइन द्वारा चेक किए गए बैगेज के नुकसान और एयरलाइन द्वारा स्वीकार की गई देयता पर लागू होगा. बीमा-सुरक्षा के अंतर्गत भुगतान में से वह राशि कम कर दी जाएगी जिसके लिए एयरलाइन भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है.

a. बीमा-सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सूचना एवं दस्तावेज / दावा प्रस्तुत करना, किसी भी धोखाधड़ी वाले लेनदेन / अनधिकृत डेबिट की सूचना लेनदेन की तिथि से 30 दिनों के भीतर बैंक को दी जानी चाहिए.

b. लेन-देन की तिथि से 60 दिनों के भीतर सहायक दस्तावेज/दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए. इस प्रकार प्रदान की गई बीमा-सुरक्षा में कार्ड/सामान की चोरी/लूट/डकैती के मामलों को बीमा-रक्षित/विचारित नहीं किया जाता है.

समापन

118. कार्डधारक किसी भी समय कार्ड को हॉट-लिस्ट करवाकर इस सुविधा को बंद कर सकता है. हालाँकि, कार्ड के सक्रिय रहने की अवधि के दौरान किए गए लेन-देन के लिए, लेकिन कार्ड अभ्यर्पित करने के बाद कार्ड पर पोस्ट किए गए लेन-देन के लिए, कार्डधारक पूरी तरह से उत्तरदायी होगा. किसी भी लेन-देन पर विवाद की स्थिति में, कार्डधारक बैंक को सूचित कर सकता है और बैंक नेटवर्क पार्टनर (वीज़ा/मास्टरकार्ड) के नियमों के अनुसार चार्जबैक बढ़ा सकता है.
119. कार्ड एचडीएफसी बैंक की पूर्ण संपत्ति है और इसे अनुरोध करने पर तुरंत और बिना किसी शर्त के एचडीएफसी बैंक के अधिकारी को वापस करना होगा. कृपया सुनिश्चित करें कि अपना कार्ड सौंपने से पहले आप बैंक अधिकारी की पहचान स्थापित कर लें.
120. बैंक को 30 दिन का नोटिस देकर कार्ड निरस्त करके किसी भी समय यह सुविधा बंद करने का अधिकार होगा और यह कार्डधारक को भारत में कार्डधारक के पते/ई-मेल/एसएमएस पर पोस्ट किए जाने के 30 दिनों के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा, जिसकी अंतिम सूचना बैंक को लिखित रूप में दी गई है.
121. एचडीएफसी बैंक को निम्नलिखित में से किसी भी घटना के घटित होने पर कार्ड सुविधा को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार होगा और कार्ड वापस कर दिया जाएगा:
    a) यहां निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहना
    b) एचडीएफसी बैंक के साथ किए गए किसी अनुबंध या प्रतिबद्धता के अंतर्गत चूक की घटना होना
    c) कार्डधारक का किसी दिवालियापन, इंसॉल्वेंसी कार्यवाही या इसी प्रकार की प्रकृति की कार्यवाही का विषय बन जाना.
    d) कार्डधारक की मृत्यु होना
122. यदि कार्डधारक अपनी सहमति नहीं देता है या कार्ड की विशेषताओं में प्रस्तावित किसी भी परिवर्तन या कार्ड पर लागू नियमों और शर्तों में परिवर्तन को अस्वीकार करता है, तो कार्डधारक को कार्ड को एचडीएफसी बैंक को उस तिथि से पहले वापस कर देना चाहिए, जिस दिन ऐसे किसी भी उपरोक्त परिवर्तन को प्रभावी होना है.
123. बैंक किसी भी सक्षम न्यायालय, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य प्रकोष्ठ को ग्राहक की जानकारी प्रकट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

हानि से सुरक्षा

124. कार्डधारक बैंक को सभी देनदारियों, हानियों, क्षतियों और व्ययों के प्रति क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होता है, जो बैंक को निम्नलिखित के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उठाना पड़ सकता है:

   a. कार्डधारक की लापरवाही/गलती या कदाचार
   b. कार्ड से संबंधित नियमों/नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन या गैर-अनुपालन.
   c. कार्डधारक या उसके कर्मचारियों/एजेंटों द्वारा किसी भी लेनदेन से संबंधित धोखाधड़ी या बेईमानी एटीएम/ईडीसी टर्मिनल मशीन हैं और संचालन के दौरान त्रुटियाँ हो सकती हैं. कार्डधारक ऐसी किसी भी मशीन/यांत्रिक त्रुटि/विफलता के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है.

125. कार्डधारक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा नियंत्रण विनियमों का अनुपालन न करने से उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी परिणामों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और नुकसान से बचाएगा.

शर्तें

126. कार्डधारक को कार्ड आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करके, कार्ड के पीछे हस्ताक्षर करके, कार्ड के साथ लेनदेन करके या कार्ड का उपयोग करके इन नियमों और शर्तों से बिना शर्त सहमत और स्वीकार किया हुआ माना जाएगा.

127. बैंक समय-समय पर कार्ड पर दी जाने वाली नीतियों, सुविधाओं और लाभों को संशोधित करने और इन नियमों और शर्तों में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और कार्डधारक को ऐसे किसी भी बदलाव के बारे में किसी भी तरीके से सूचित कर सकता है जिसे वह उचित समझे. कार्डधारक ऐसे बदलावों से तब तक बाध्य होगा जब तक कि कार्ड को निरस्त करने के लिए बैंक को उस तिथि से पहले वापस नहीं कर दिया जाता जिस दिन से कोई भी बदलाव प्रभावी होना है.

128. बैंक समय-समय पर नई सेवाएँ शुरू कर सकता है. नए कार्यों के अस्तित्व और उपलब्धता के बारे में कार्डधारक को तब सूचित किया जाएगा, जब वे उपलब्ध होंगे. नई सेवाओं पर लागू होने वाले बदले हुए नियम और शर्तें कार्डधारक को बताई जाएँगी. इन नई सेवाओं का उपयोग करके, कार्डधारक लागू नियमों और शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत होता है.

129. ये नियम कार्डधारक और बैंक के बीच अनुबंध बनाते हैं. कार्ड के लिए आवेदन करके और सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करके, कार्डधारक इन नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है. ये नियम और शर्तें कार्डधारक के किसी भी खाते से संबंधित नियमों और शर्तों के अतिरिक्त या उनके विरुद्ध नहीं होंगी.

शासी कानून

130. ये नियम व शर्तें और/या बैंक द्वारा बनाए गए कार्डधारक के खातों में परिचालन और/या कार्ड के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं का उपयोग भारत गणराज्य के कानूनों द्वारा शासित होगा, किसी अन्य देश के नहीं. कार्डधारक और बैंक इन नियमों व शर्तों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या मामले के संबंध में मुंबई, भारत में स्थित न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं. बैंक भारत गणराज्य के अलावा किसी अन्य देश के कानूनों का पालन न करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी दायित्व स्वीकार नहीं करता है. केवल इस तथ्य से कि कार्ड को भारत के अलावा किसी अन्य देश में कार्डधारक द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उक्त देश के कानून इन नियमों व शर्तों और/या कार्डधारक के कार्ड खाते में परिचालन और/या कार्ड के उपयोग को नियंत्रित करते हैं.

विच्छेदनीयता और छूट

131. इन नियमों और शर्तों के प्रत्येक प्रावधान को विच्छेदित किया जा सकता है और दूसरों से अलग किया जा सकता है और यदि किसी भी समय, ऐसे प्रावधानों में से एक या अधिक किसी भी क्षेत्राधिकार के कानूनों के अंतर्गत किसी भी तरह से अवैध या अप्रवर्तनीय हो जाते हैं, तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधता या लागू करने की क्षमता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी. पूर्वगामी के बावजूद, यहाँ किसी भी नियम और शर्त की अवैधता या अप्रवर्तनीयता की स्थिति में, बैंक कार्ड को तुरंत वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

132. बैंक द्वारा कोई भी कार्य, देरी, उदारता या चूक इन नियमों और शर्तों के अंतर्गत उसके अधिकारों, शक्तियों और उपायों या ऐसे अधिकारों, शक्तियों या उपायों के अन्य आगे के प्रयोग को प्रभावित नहीं करेगी. इन नियमों और शर्तों के अंतर्गत अधिकार और उपाय संचयी हैं और कानून या इक्विटी के अंतर्गत बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपायों से अलग नहीं हैं.

समनुदेशन

133. कार्डधारक यह स्वीकार करता है कि बैंक कार्ड के संबंध में अपने किसी भी या सभी अधिकारों और दायित्वों को किसी तीसरे व्यक्ति को समनुदेशित कर सकता है, स्थानांतरित कर सकता है या हस्तांतरित कर सकता है, जैसा कि वह कार्डधारक की सहमति प्राप्त किए बिना अपने विवेक से उचित समझे.

विविध

134. बैंक को कार्डधारक द्वारा उसके आवेदन पर तथा सर्वेक्षणों के दौरान दी गई जानकारी, उपभोक्ता रिपोर्ट सहित बाह्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी, विपणन रिपोर्ट तथा बैंक/सहबद्धों द्वारा की गई गतिविधियों के लिए उपयोग करने का अधिकार है. बैंक इस जानकारी का उपयोग मेलिंग सूची विकसित करने के लिए कर सकता है, जिसका उपयोग उन कंपनियों द्वारा किया जा सकता है जिनके साथ बैंक कार्डधारक के लिए विपणन प्रस्ताव विकसित करने के लिए काम करेगा.

135. कानून द्वारा या किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत प्रदत्त सामान्य अधिकार या अन्य अधिकार के अतिरिक्त, बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के, कार्ड पर शेष राशि को किसी अन्य खाते (खातों) के साथ संयोजित या समेकित कर सकता है, जिसे कार्डधारक बैंक और उसकी समूह कंपनियों के पास रखता है, और ऐसे अन्य खाते (खातों) में जमा राशि को सेटऑफ या हस्तांतरित कर सकता है, जो कार्डधारक के कार्ड के अंतर्गत बैंक के प्रति दायित्व की संतुष्टि के लिए हो.

136. कार्डधारक को कार्ड के लिए आवेदन पत्र में बताए अनुसार अपने रोजगार / पता / ईमेल / संचार के लिए मोबाइल नंबर में किसी भी बदलाव के बारे में बैंक को तुरंत सूचित करना होगा. यदि पता / ईमेल / मोबाइल में ऐसा कोई बदलाव बैंक के ध्यान में आता है, तो बैंक अपने रिकॉर्ड में कार्डधारक के पते / ईमेल / मोबाइल नंबर को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से कार्डधारक की होगी कि बैंक को रोजगार / पता / ईमेल / संचार के लिए मोबाइल नंबर के सही विवरण के बारे में सूचित किया गया है, और गलत पते / ईमेल / मोबाइल नंबर के कारण कार्डधारक को किसी भी तरह का नुकसान या देयता होने की स्थिति में बैंक सभी देयताओं से इनकार करता है.

137. कार्डधारक उन सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है, जिन्हें + होगा.